

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-1/4/2009पार्ट

जयपुर, दिनांक: 16 जुलाई, 2015

आदेश

बी.एड./शिक्षाशास्त्री/एम.एड./शिक्षा-आचार्य/बी.पी.एड. महाविद्यालयों के लिए सत्र 2015-16 के लिए अन्तरिम शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुसंधान पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2015-16 के लिए निम्नानुसार अन्तरिम वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

क्र.सं.	मद	अन्तरिम शुल्क (2015-16) (राशि रुपये में)
1.	शिक्षण शुल्क	17,880.00
2.	विविध शुल्क	4,440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00
4.	अन्य गतिविधियां*	3500.00

* (क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क सिर्फ बी.एड./शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-व्यय का मदवार विवरण सत्र 2015-16 के लिए अन्तरिम रूप से निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मद	अन्तरिम शुल्क (2015-16) (राशि रुपये में)
(A) कार्यालय व्यय		
1.	प्रवेश शुल्क	36.00
2.	कॉशन मनी	180.00
3.	प्रमाण-पत्र	24.00
4.	विकास शुल्क	840.00
5.	बिजली-पानी	840.00
6.	परीक्षा	300.00
7.	विविध	60.00
योग		2200.00
(B) कार्यालय व्यय		
1.	खेलकूद	180.00
2.	पुस्तकालय	540.00
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180.00
4.	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180.00
5.	शैक्षिक तकनीकी	360.00
6.	कार्यशाला/कार्यानुभव	360.00
7.	विज्ञान शुल्क	180.00
8.	आकस्मिक व्यय	180.00
योग		2,160.00
महायोग (A+B)		4,440.00

वर्ष 2015-16 के लिए उपरोक्त शुल्क पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वार्षिक रूप से देय होगा। उल्लेखनीय है कि यह शुल्क अन्तरिम रूप से निर्धारित किया गया है। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा 2016-17 के लिए नवीन शुल्क निर्धारण किए जाने की स्थिति में वर्ष 2016-17 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ-साथ में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर भी नवीन शुल्क लागू होगा।

Self-

(डॉ० रेनू बापना)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुप-4) विभाग

DR(Accd.)
22/3/18
22/3/18

क्रमांक: प्र. 11 (3) शिक्षा-4, 2009/प्र.

दिनांक: 22 मार्च, 2018

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

अज्ञानत आउन्सिल फॉर टीचर एजुकेशन के रेगुलेशन के अनुसार मणित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति के अनुशसा पर राज्य के गैर अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण सस्थानों के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है-

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड. बी.एस.सी.-बी. एड.
1	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2	विविध शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4	अन्ध पाठोपदेशिका*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

* (क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-शुल्क का मदवार विवरण निम्नानुसार होगा-


क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड.
(A)	कार्यालय व्यय				
1	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2	ऊँशन मनी *	180	180	180	180
3	प्रमाण-पत्र	24	24	24	24
4	विकास शुल्क	840	840	840	840
5	दिजली-पानी	840	840	840	840
6	परीक्षा	300	300	300	300
7	विविध	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280

(B) छात्र कोष					
1	खेलकूद	180	180	180	180
2	पुस्तकालय	540	540	540	540
3	कला, संगीत एवं संस्कृति	180	180	180	180
4	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180	180	180	180
5	शैक्षिक तकनीकी	360	360	360	360
6	कार्यशाला / कार्यानुभव	360	360	360	360
7	विज्ञान शुल्क	180	180	180	180
8	आकरिमिक व्यय	180	180	180	180
	योग (B)	2160	2160	2160	2160
	महायोग (A+B)	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00

(* कार्यालय 1 व 2 पर वर्णित मद का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा)

उपरोक्त शुल्क राशि का 1% होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018-19/अगामी सत्रों के लिए सनात आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क, प्रदेश शुल्क व कोशन मने मद की राशि को छोड़कर, शेष शुल्क संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आपदा को/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से केशलेरा विकल्प उपलब्ध करवाए।


(डॉ० राजेन्द्र जोशी)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीवननिधि-11, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जाधपुर।